संख्या:189/2016/2230जेएल/22-3-16-800(220)/2015टीसी

प्रेषक,

देबाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

3-समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक,
केन्द्रीय/जिला, कारागार, उ0प्र0।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनाक: 23 मई, 2016***

विषय- प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध सिद्धदोष बंदियों के पैरोल हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के संबंध में आख्या का प्रेषण।

महोदय,

प्रदेश की कारागारो में निरूद्ध सिद्धदोष बंदियों को माता, पिता, पति या पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई या बहन की बीमारी, मृत्यु पुत्र-पुत्री या भाई-बहन की शादी, निजी भूमि पर कृषि कार्य एवं मकान मरम्मत के लिये पैरोल स्वीकृत किये जाने का प्राविधान उत्तर प्रदेश (बंदियों के दण्डादेश का निलम्बन) नियमावली, 2007 में कतिपय शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन किया गया है। उक्त नियमावली के प्रस्तर-5(1) में यह व्यवस्था है कि दण्डादेश के निलम्बन के लिए प्रार्थना पत्र स्वयं बंदी द्वारा या बंदी के परिवार के किसी सदस्य या निकट सम्बन्धी द्वारा विहित प्रपत्र-। में दो प्रतियों में सम्बन्धित जेल के अधीक्षक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति अपनी अभ्युक्तियों और प्रपत्र-।। में जेल रिपोर्ट के साथ सरकार को और दूसरी सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करेगा तथा सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट प्रपत्र-।।। में अंकित पॉच बिन्दुओं के अनुसार प्रकरण का परीक्षण कराकर अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित शासन को प्रेषित करेगा।

2- प्राय: यह देखा जा रहा है कि बंदियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले पैरोल प्रार्थना पत्र सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक द्वारा शासन को जेल रिपोर्ट के साथ भेजते हुए उसकी प्रति सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को पृष्ठांकन के माध्यम से भेज दी जाती है। पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी आख्या प्रेषित नहीं की जाती है, फलस्वरूप बंदी अथवा उसके परिजनों द्वारा विभिन्न स्तरों पर पैरोल के संबंध में प्रार्थना पत्र दिये जाते है, जिससे एक ही प्रकरण में बार-बार पत्राचार किया जाता है। इससे जहां एक ओर अनावश्यक समय व श्रम नष्ट होता है, वहीं दूसरी ओर जिस प्रयोजन हेतु बंदियों द्वारा पैरोल का अनुरोध किया जाता है, उसका उद्देश्य समाप्त हो जाता है, यह कदापि उचित नहीं है।

3- उक्त के अतिरिक्त यह भी पाया गया है कि कतिपय जिला मजिस्ट्रेट सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी/थानाध्यक्ष की आख्या को संलग्न कर शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

भेज दिया जाता है, उस पर अपना कोई मन्तव्य अंकित नहीं किया जाता है, जिससे असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है तथा निर्णय लेने में कठिनाई होती है।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बंदियों द्वारा पैरोल के संबंध में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रार्थना पत्रों को सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक द्वारा जेल रिपोर्ट के साथ एक सप्ताह के अंदर सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट को सीधे भेज दिया जाय तथा पत्र की प्रति शासन को सूचनार्थ पृष्ठांकित की जाय। सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट पुलिस विभाग से वांछित आख्या प्राप्त करके अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ कि **बंदी को पैरोल स्वीकृत किया जाय अथवा नहीं, इसका स्पष्ट उल्लेख करते हुए अपनी आख्या शासन को 15 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये।**

कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

भवदीय,

(देबाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।